24/10/19 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप। प्रतिवादी नं. 2
की रजिस्ट्री प्राप्त हुई। बार-बार आवाज
लगाई गई। न तो स्वयं उप न ही कोई प्रतिनिधि - नि. 3 [illegible]
उप। समय लगभग 4.30 हो चुका है। अतः प्रतिवादी नं 2
के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में ली जाती है।
वकील वादी द्वारा PW3 रामनिवास का शपथ पत्र पेश किया
बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश निर्णय
13.11.19 को पेश हो

13.11.19 पत्रावली पेश हुई वकील वादी उप।
विस्तृत निर्णय अलग से लिखवाया जाकर सुनाया
गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील
दाखिल दफ्तर हो।

Scanned by CamScanner

मबर व तारीख
जो किस हुक्म
तामील मे

न्यायालय सहायक कलक्टर, दीगोद (कोटा)

उनवान संख्या 101/18 | तारीख दायरा 30/08/2018 | तारीख फैसला 13/11/2019

पीठासीन अधिकारी – जबर सिंह (R.A.S.)

उनवान

1. मुरारी दत्तक पुत्र हरिराम उर्फ हीरालाल
2. द्वारका बाई पुत्री हरिराम उर्फ हीरालाल
3. केली बाई बेवा हरिराम उर्फ हीरालाल जाति केवट, निवासीगण ग्राम मोहम्मदपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा

–वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा
2. रंगलाल आत्मज बिरधा जाति केवट निवासी मोहम्मदपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 आर0टी0एक्ट

उपस्थित– श्री रामबाबू दाधीच व श्री विजय सक्सेना एडवोकेट वादीगण की ओर से

निर्णय

वादीगण ने वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88–89 आरटीएक्ट, इस कथन के साथ पेश किया कि ग्राम मांगाहेडी तहसील दीगोद जिला कोटा में ख0नं0 11 रकबा 0.56 हे0, ख0नं0 12 रकबा 0.79 हे0, ख0नं0 68 रकबा 0.39 हे0 कुल किता 3 रकबा 1.74 हे0 भूमि स्थित है। उक्त आराजी में वादीगण का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी नं0 2 का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वादीगण के पिता व पति हरिराम उर्फ हीरालाल का दिनांक 29.10.2011 को स्वर्गवास हो गया है। जिनके वादीगण एकमात्र वारिस एवं उत्तराधिकारी है। जो बाद मृत्यु उक्त आराजी में निहित 1/2 हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादी नं0 1 वादी नं0 2 व 3 का पुत्र व भाई है। जिसे हरिराम उर्फ हीरालाल आत्मज बिरधा नें अपनें जीवनकाल में ही विधि विधान व सामाजिक रीति–रिवाजों के अनुसार गोद ले लिया जो हरिराम उर्फ हीरालाल का विधिक वारिस है। ग्राम मोहम्मदपुरा तहसील दीगोद में ख0नं0 41/266 रकबा 0.22 हे0, ख0नं0 44 रकबा 1.36 हे0 कुल किता 2 रकबा 1.58 हे0 आराजी स्थित है। जो वादीगण के पिता व पति हरिराम उर्फ हीरालाल आत्मज बिरधा उर्फ बिरधीलाल के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी जिसका वादीगण के पिता व पति हरिराम उर्फ हीरालाल द्वारा अपनें जीवनकाल में बैचान कर दिया है। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में वादीगण के पिता व पति का नाम हीरालाल दर्ज कर रखा है, जबकि वादीगण के पिता व पति को हरिराम

Scanned by CamScanner

उर्फ हीरालाल के नाम से जाना एवं पहचाना जाता है उक्त दोनों नाम वादीगण के पिता एवं पति के है। मात्र वादीगण के पिता व पति के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड व वर्तमान दस्तावेजात् में हरिराम दर्ज होनें से प्रतिवादी नं0 1 द्वारा वादीगण के बाद मृत्यु फोती इंतकाल का प्रार्थना पत्र पेश करनें पर सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना नाम दर्ज करनें से मना कर दिया। इस कारण वादीगण के लिए यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। वाद कारण दिनांक 08.08.2018 को वादीगण द्वारा प्रतिवादी नं0 1 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करनें का निवेदन किया जिस पर प्रतिवादी द्वारा सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना नाम दर्ज करनें से मना कर देनें पर उत्पन्न हुआ।

वाद पेश कर वादीगण ने निवेदन किया है कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावें कि– ग्राम मांगाहेडी तहसील दीगोद जिला कोटा स्थित ख0नं0 11, 12, 68 कुल किता 3 रकबा 1.74 हे0 में हीरालाल उर्फ हरिराम आत्मज बिरधा के स्थान पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जावें तथा राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के पिता व पति का नाम हरिराम उर्फ हीरालाल दर्ज किया जावें, उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किया जाकर तद्नुसार डिक्री पारित फरमाई जावें अन्य न्यायोचित सहायता जो भी माननीय न्यायालय उचित समझे वादीगण को प्रदान फरमाई जावें।

दस्तावेजी साक्ष्य में वादीगण की ओर से निम्न दस्तावेजात् प्रस्तुत किये–

1. प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम मांगाहेडी सं0 2073–76 खाता नं0 38
2. प्रतिलिपि जमाबंदी भू–प्रबंध ग्राम मांगाहेडी सं0 2043–62
3. प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम मोहम्मदपुरा सं0 2068–71 खाता नं0 64
4. तस्दीक प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत मदनपुरा दिनांक 19.07.2018
5. छायाप्रति मतदाता पहचान पत्र केली
6. छायाप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र हरिराम उर्फ हीरालाल
7. छायाप्रति पेंशन आदेश केली
8. छायाप्रति वसीयतनामा हरिराम पुत्र बिरधा
9. छायाप्रति आधार कार्ड मुरारी पुत्र हरिराम
10. छायाप्रति मतदाता पहचान पत्र हरिराम पुत्र बिरधा
11. छायाप्रति राशन कार्ड मुरारी
12. छायाप्रति जॉब कार्ड मुरारी पुत्र हरिराम केवट
13. शपथ पत्र PW 1 मुरारी दत्तक पुत्र हरिराम उर्फ हीरालाल आयु 38 वर्ष जाति केवट निवासी मोहम्मदपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा
14. शपथ पत्र PW 2 केलाबाई बेवा हरिराम उर्फ हीरालाल आयु 80 वर्ष जाति केवट निवासी मोहम्मदपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा
15. शपथ पत्र PW 3 रामविलास पुत्र कन्हैयालाल आयु 55 वर्ष जाति गूजर निवासी मोहम्मदपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा

Scanned by CamScanner

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन् जारी किये गये। प्रतिवादी नं0 1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद की ओर से प्रकरण में जवाब प्रस्तुत हुआ, जवाब में विशेष कथन किये कि "वादीगण के पिता के सहखातेदारी की आराजी वाके ग्राम मांगाहेडी तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 11, 12, 68 कुल किता 3 रकबा 1.74 हे0 भूमि वादी के पिता हीरालाल, रंगलाल पिता बिरधा के नाम सहखातेदारी में दर्ज है। जिसमें वादीगण के पिता का नाम हीरालाल दर्ज रिकॉर्ड है। साथ ही वाद के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज ग्राम मोहम्मदपुरा तहसील दीगोद के खातें की जमाबंदी ख0नं0 41/266 एवं ख0नं0 44 कुल किता 2 रकबा 1.58 हे0 भूमि में वादीगण के पिता का नाम हरिराम पुत्र बिरधा दर्ज रिकॉर्ड है। वादीगण के पिता की मृत्यु हो चुकी है वादीगण का नाम इन्तकाल नं0 95 दिनांक 12.04.2013 से खातें दर्ज हो चुका है। जिससे वादीगण के पिता के नाम की पुष्टि होती है। वादीगण द्वारा पिता हीरालाल उर्फ हरिराम के नाम की पुष्टि बाबत् अन्य दस्तावेज ग्राम पंचायत तस्दीक, मृत्यु प्रमाण पत्र, फोटो पहचान पत्र एवं वादी नं0 3 द्वारा पेन्शन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये है। जिससे वादीगण के पिता का नाम हीरालाल पुत्र बिरधा के स्थान पर हरिराम उर्फ हीरालाल पुत्र बिरधा करवाना चाहता है।" प्रतिवादी नं0 2 के बावजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित नहीं होनें से प्रतिवादी नं0 2 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई।

हमनें साक्ष्य सहादत आदि प्रस्तुत करने के पर्याप्त एवं युक्तियुक्त अवसर दिये तथा बाद साक्ष्य हमने विद्वान वकील वादीगण की बहस पर मनन किया गया। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत तर्कादि तथा जवाब सरकार पर विचार किया। बाद बहस पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया। वादीगण ने वादगत भूमि वाके ग्राम मांगाहेडी तहसील दीगोद जिला कोटा स्थित ख0नं0 11, 12, 68 कुल किता 3 रकबा 1.74 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में हीरालाल पुत्र बिरधा के स्थान पर हरिराम उर्फ हीरालाल पुत्र बिरधा दर्ज किये जानें एवं हरिराम उर्फ हीरालाल की मृत्यु हो जानें से उसके वारिसान की हैसियत से उसके हिस्से की आराजी पर खातेदार घोषणा की रिलीफ चाही है। जिसके सम्बन्ध में वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य जमाबंदी सं0 2068–71 ग्राम मोहम्मदपुरा स्थित खाता नं0 64 पर स्थित ख0नं0 41/266 रकबा 0.22 हे0, ख0नं0 44 रकबा 1.36 हे0 भूमि हरिराम पुत्र बिरधा की खातेदारी में दर्जं चली आ रही थी, हरिराम की मृत्यु के उपरान्त उक्त भूमि मुरारीलाल दत्तक पुत्र हरिराम व द्वारक्या बाई पुत्री हरिराम के नाम नामान्तरकरण सं0 95 दिनांक 12.04.2013 से बहिस्सा बराबर दर्ज की गई। प्रकरण में यह तय है कि ग्राम मांगाहेडी स्थित खाता नं0 38 व ग्राम मोहम्मदपुरा स्थित खाता नं0 64 में क्रमशः हीरालाल पुत्र बिरधा व हरिराम पुत्र बिरधा दर्ज चला आ रहा है। जबकि वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों शपथ पत्र तथा जवाब सरकार के अनुसार हीरालाल व हरिराम एक ही व्यक्ति के नाम है। विवादित आराजी के सहखातेदार प्रतिवादी नं0 2 रंगलाल द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं करनें के फलस्वरूप, उक्त को अन्तिम माना जावेगा। प्रकरण में वादीगण व वादीगण के पडोसी के शपथ पत्र इस बाबत् प्रस्तुत किये गये है कि हीरालाल व हरिराम एक ही व्यक्ति है। इस प्रकार प्रकरण में यह तय है कि हीरालाल व हरिराम दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है तथा ग्राम मोहम्मदपुरा की जमाबंदी अनुसार वादीगण हरिराम उर्फ हीरालाल के ही वारिस होना प्रमाणित है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात्, शपथ

Scanned by CamScanner

पत्र, ग्राम पंचायत मदनपुरा द्वारा जारी प्रमाण पत्र, हरिराम द्वारा आलेखित वसीयत एवं जवाब सरकार व अन्य दस्तावेजों के अवलोकन से वादीगण का वाद प्रमाणित है। जिससे विवादित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में हीरालाल का नाम दुरूस्तनीय एवं वादीगण विवादित आराजी में अपनें स्वत्वों की घोषणा करवानें के अधिकारी है।

परिणामतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि विवादित आराजी वाके ग्राम मांगाहेडी तहसील दीगोद जिला कोटा स्थित ख0नं0 11 रकबा 0.56 हे0, ख0नं0 12 रकबा 0.79 हे0, ख0नं0 68 रकबा 0.39 हे0 कुल किता 3 रकबा 1.74 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नाम हीरालाल पुत्र बिरधा के स्थान पर हरिराम उर्फ हीरालाल पुत्र बिरधा दर्ज किया जावें, तथा वादीगण को उपरोक्त भूमि में हरिराम उर्फ हीरालाल के हिस्से 1/2 का खातेदार घोषित किया जाता है, शेष यथावत् रहेगा। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनॉक 13/11/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(जबर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
दीगोद

Scanned by CamScanner

अंतिम डिक्री मुकदमा

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा

उनवान

1. मुरारी दत्तक पुत्र हरिराम उर्फ हीरालाल
2. द्वारका बाई पुत्री हरिराम उर्फ हीरालाल
3. केली बाई बेवा हरिराम उर्फ हीरालाल जाति केवट, निवासीगण ग्राम मोहम्मदपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा

–वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा
2. रंगलाल आत्मज बिरधा जाति केवट निवासी मोहम्मदपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 आर0टी0एक्ट

मिसल नम्बर–101/18

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु मुझ जबर सिंह आर.ए.एस. बहाजिरी श्री रामबाबू दाधीच व श्री विजय सक्सेना एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रुबरु मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि "वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि विवादित आराजी वाके ग्राम मांगाहेडी तहसील दीगोद जिला कोटा स्थित ख0नं0 11 रकबा 0.56 हे0, ख0नं0 12 रकबा 0.79 हे0, ख0नं0 68 रकबा 0.39 हे0 कुल किता 3 रकबा 1.74 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नाम हीरालाल पुत्र बिरधा के स्थान पर हरिराम उर्फ हीरालाल पुत्र बिरधा दर्ज किया जावें, तथा वादीगण को उपरोक्त भूमि में हरिराम उर्फ हीरालाल के हिस्से 1/2 का खातेदार घोषित किया जाता है, शेष यथावत् रहेगा।" तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 13/11/2019 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0

Scanned by CamScanner

महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

(जबर सिंह)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner